FP/JH/Utners/34881/2018

1/39139 /2023



भारत सरेकार / Government of India पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

Ministry of Environment, Forest & Climate Change

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय/Integrated Regional Office पताः द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरम् चौक, राँची, झारखण्ड - 834002 oor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand -Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in



दिनांक: 01.03.2023

संख्या: FP/JH/OTHERS/34881/2018/955

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी (एफ.सी.) वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखण्ड सरकार वन भवन, डोरंडा, राँची - 834002

Subject: Diversion of 11.11 ha of forest land (under Hazaribagh west FD-8.27 ha and Ramgarh FD-2.84 ha) in favour of M/s CCL for construction of North Urimari railway siding under Hazaribagh west and Ramgarh forest division in Hazaribagh and Ramgarh district of Jharkhand-reg.

Reference: 58th REC meeting of IRO, Ranchi held on 10.02.2023

Sir,

I am directed to draw your kind attention towards the above-mentioned FC proposal, the said proposal was discussed in the 58th REC meeting with special emphasis on violation over GMJJ (Gair Majarua Jungle Jhari) land as reported by DFO, Ramgarh. The committee recommended the proposal for in-principle approval provided the anomaly related to the reported violation is mitigated by the state government. Therefore, the committee has demanded the following specific information related to the proposal:

- The proposal involves violation over GMJJ land which is not under jurisdiction or i. management/ownership of state forest department. Revenue Department of Jharkhand has jurisdiction over such land, however, JJ land falls under deemed forest category. Therefore, either such violation be compounded appropriately by state government before forwarding the proposal to central government or should clearly specify the penal provisions to be undertaken along with recommendation of the department having the jurisdiction on the land.
- The Committee opined that a detailed report in the may be submitted by the State ii. Forest Department regarding the extant proposal.
- As recommendation made by SFD, the penal CA DFL area should have been 10 iii. times of the area involved in the proposal; while the current submitted area for CA is only 22.44 ha.

The Committee recommended the proposal for "in-principle" approval after the receipt of required report/reply as enumerated above.

This is submitted for your kind consideration please.

Signed by Shashi Shankar

Date: 01-03-2023 17:33:59

Reason: Approved (शशि शंकर)

सहायक वन महानिरीक्षक

- (195)

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक .293..

दिनांक 20/3/2023

प्रतिलिपि:— क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/बोकारो/वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल/रामगढ़ वन प्रमंडल/मुख्य महाप्रबंधक (पर्यावरण एवं वन), सी०सी०एल०, दरभंगा हाऊस, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के उपरोक्त पत्र में की गयी पृच्छाओं का मंतव्य सहित निराकरण प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

214 3

olc

झारखण्ड सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-28/2022- 🔿 🖯

व०प०, राँची, दिनांक-15 03/20

प्रेषक.

जलज कुमार, उप परामर्शी।

सेवा में.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- सी0सी0एल0 के नॉर्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु कुल-11.11 हे0 (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत 8.27 हे0 एवं रामगढ़ वन प्रमंडल अंतर्गत 2.84 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची से प्राप्त पत्रांक-FP/JH/Others/34881/ 2018/955 दिनांक-01.03.2023 की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलगन है।

अनुरोध है कि उक्त पत्र द्वारा वांछित प्रतिवेदन Online Upload करते हुए विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जलज कुमार उप परामशी।

कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक 308 दिनांक 21 03 2023

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग / बोकारो / वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल / रामगढ़ वन प्रमंडल / मुख्य महाप्रबंधक (पर्यावरण एवं वन), सी०सी०एल०, दरभंगा हाऊस, राँची को इस कार्यालय के ज्ञापांक 293 दिनांक 20.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

अनुरोध है कि भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के उक्त पत्र में की गयी पृच्छाओं का मंतव्य सहित निराकरण प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। 21.03.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

G/2020 - वनमूमि LETTER - 1540 (Mukesh) Email-Id:- forestjhr@gmail.com